

## नोटिस

न्यायालय विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम आजमगढ़ परिक्षेत्र, आजमगढ़।

पत्रांक: 2015/वि0उप0व्य0नि0फो0आ0/2020

दिनांक 05/08/2020

श्री आशीष शुक्ला पुत्र कल्पनाथ शुक्ला, साकिन-अगेहता, पोस्ट-गोपालपुर, लालगंज, जनपद-आजमगढ़। .....परिवादी

### बनाम

अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (तृतीय), लालगंज, आजमगढ़।.....विपक्षी नं0 01

श्री राधाकृष्ण राव, अधिशाली अभियन्ता, उपखण्ड-कोपागंज, जनपद-मऊ।.....विपक्षी नं0 02


परिवादी (श्री आशीष शुक्ला पुत्र कल्पनाथ शुक्ला) आपको एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके प्रार्थनापत्र पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आप स्वयं या किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा इस फोरम में दिनांक 24.08.2020 को उपस्थित होकर अपना साक्ष्य सहित लिखित रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

विपक्षीगण (अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-(तृतीय), लालगंज, आजमगढ़।) को इस संबंध में विद्युत शिकायत के संबंध में स्वयं या किसी विज्ञ अधिवक्ता द्वारा इस फोरम में दिनांक 24.08.2020 को पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा उपस्थित न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही आदेश पारित कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 05.08.2020 न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है।

संलग्नक:- परिवाद-पत्र की फोटो कापी

दिनांक: 05.08.2020



01C



विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम,  
आजमगढ़ (उ0प्र0)।

3-11-2014 शुक्ला